राजकाज
दैनिक भास्कर, रांची, गुरुवार 27 सितंबर, 2018

अनुसूचित जनजाति मंत्रालय का हो गठन : प्रणय दत्त

सिटी रिपोर्टर | रांची

राज्य में 30 फीसदी से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इसके बाद भी आज तक सरकार की ओर से न तो इनके लिए मंत्रालय का गठन किया गया है और न ही किसी प्रकार का आयोग बनाया गया है। छोटे से छोटे चीजों के लिए आयोग बनाए गए हैं, लेकिन राज्य की बड़ी आबादी को सरकार नजरअंदाज करते आ रही है। ये बातें बुधवार को वनवासी कल्याण केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रणय दत्त ने कहीं।

1932 के नियम से बन रहा जाति प्रमाण पत्र : संस्था के संदीप उरांव ने कहा कि राज्य में आज भी 1932 के नियम के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के केरल सरकार व अन्य बनाम चंद्रमोहन व अन्य के फैसले को लागू किया जाए। जिसके तहत धर्मांतरित जनजाति समुदाय के सदस्य जिसने जनजाति सनातन परंपरा, रीति रिवाज त्याग चुका है। दूसरे समुदाय में शादी कर ली है। उनका जाति प्रमाणपत्र उसी के आधार पर बने न कि 1932 के खतियान के आधार पर।

आंदोलन की चेतावनी

कार्यकारिणी सदस्य जगलाल पाहन ने बताया कि संस्था अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन करेगी। कहा कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। शुरुआत में संथाल परगना के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जा रहा है। बहुत जल्द इसे राज्य के सभी जिला में शुरू किया जाएगा।